फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलेक्टर मुकाम आहोर, जिला - जालोर

**वादी**
रणजीत सिंह s/o श्री शूरसिंह राजपूत
साकिन - जेतडा, जि. - बनासकांठा (गुजरात)
जरिये - पॉवर ऑफ अटार्नी श्री दशरथ सिंह
पुत्र जवरसिंह राजपूत, सा. मालगढ़ (आहोर)

बनाम

**प्रतिवादीगण**
पृथ्वी सिंह s/o सवाई सिंह वगैरा
कौम - राजपूत, नि. - मामडोली,
तह. - परबतसर, जि. - नागौर

किस्म मुकद्दमा : U/S 188 RT Act                मु. नं. : 46 /2017

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 30/06/17 | वादी की ओर से विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा धारा अन्तर्गत 188 RT Act 1955 के तहत पेश किया गया है। अत: दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 30/8/17 को पेश हो।<br><br>(हस्ताक्षर)<br>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)<br>आहोर (जिला-जालोर) | |
| 30-8-17 | पक्षकारान मुताबिक हाजिर।<br>प्रतिवादी क्र. 3, 4, 5 की ओर से वकील श्री महिपालसिंह जेतावत द्वारा वकालतनामा पेश करने पर शामिल किया गया। जिनके द्वारा जवाब दावा पेश करने हेतु समय चाहा जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है व शेष प्रतिवादीगण की तामील होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 30-10-17 को पेश होवे। | |

11-10-17 वकील वादी द्वारा पत्रावली आज
की रेकर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना
पत्र पेश करने पर पत्रावली आज
पेश हुई। वादी पक्ष की ओर से
प्रार्थना पत्र बाबत जरिये राजीनामा
वाद डिग्री फरमाने पेश कर कथन
किया है कि वादीगण प्रतिवादीगण
के बीच आपस में राजीनामा गांव
के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष हो
चुका है। अब इस वाद को वादी
चलाना नहीं चाहते है। इस वाद को
लोक अदालत की भावना से इस
राजीनामा के जरिये डिग्री फरमाया
जावे। वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र को शामिल मिसल
किया गया।

चूंकि वादी पक्ष इस वाद को
आगे नहीं चलाना चाहते है अतः
दावा वादी जरिये डिग्री से खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो
निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(signature)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर (जिला-जालोर)